



कार्यालय सम्पत्ति अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
ए-1/4, लखनपुर, कानपुर।  
निष्प्रयोज्य वाहनो की बिक्री की नीलामी हेतु सूचना

क्र० सं०	वाहन संख्या व मेक(नाम)	क्रय वर्ष / वाहन का नाम	धरोहर धनराशि
1	UP- 32 BE-5210	2004 अम्बेसडर	रु० 7,500.00
2	UP-32 BM-0738	2005 अम्बेसडर	रु० 7,500.00
3	UP-32 DX-2583	2006 अम्बेसडर	रु० 7,500.00
4	UP-32 DS-9788	2011 अम्बेसडर	रु० 7,500.00
5	DL-3C- Y 2182	2002 अम्बेसडर	रु० 7,500.00
6	UP-32 BY-6099	2006 अम्बेसडर	रु० 7,500.00
7	UP-32 AR-7297	2002 टाटा सफारी	रु० 7,500.00
8	UP-78 BS-5971	2009 इण्डिका	रु० 7,500.00
9	UP-78 BS-5973	2009 इण्डिका	रु० 7,500.00
10	UP-78 BS-5972	2009 इण्डिगो	रु० 7,500.00

नियम एवं शर्तें:-

1. वाहन न्यूनतम आरक्षित मूल्य से कम पर नीलामी न होगी। निविदादाताओं द्वारा जो भी अधिकतम बोली होगी उस मूल्य पर नियमानुसार जी०एस०टी० अतिरिक्त देय होगा।
2. निष्प्रयोज्य वाहनो की निविदा हेतु पूर्व में निर्धारित धरोहर धनराशि रु० 7500/- का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर यूपीएसआईडीसी लि० के नाम **Payable at Kanpur** के पक्ष में नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के पीछे निविदादाता द्वारा अपना नाम, निष्प्रयोज्य वाहन सं०/निष्प्रयोज्य सामग्री व मोबाइल नं० भी अंकित किया जायेगा। उक्त के साथ ही पहचान पत्र व पते से सम्बन्धित प्रपत्रो की छायाप्रतियाँ जमा करनी होगी।
3. यदि निविदादाता द्वारा एक से अधिक वाहनो पर बोली लगाना चाहता है तो निविदादाता को अलग-अलग धनराशि (सिक्वोरिटी) रु० 7500/- प्रति वाहन के हिसाब से जमा करना होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को नीलामी के समय अपनी फोटो, पहचान पत्र एवं पता प्रमाण पत्र की मूल प्रति दिखाना होगा।
5. नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त अवशेष समस्त धनराशि कर सहित एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा तथा उसके उपरान्त 15 दिन के अन्दर निष्प्रयोज्य वाहनो को उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रु० 100/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

6. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी के उपरान्त निर्धारित समयावधि में अवशेष धनराशि जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर धरोहर धनराशि के रूप में जमा की गयी धनराशि यूपीएसआईडीसी लि0 कानपुर के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
7. वाहनों की नीलामी जहाँ है व जिस स्थित में है के आधार पर की जायेगी निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि नीलामी में बोली बोलने से पूर्व वाहनों को कार्यस्थल पर जाकर किसी भी कार्यदिवस पर स्वयं देख परख ले। नीलामी के बाद यदि वाहन में कमी इंगित की जाती है तो वह मान्य नहीं होगी।
8. बीमा का खर्च, रोड टैक्स, सेल्स टैक्स तथा नियमानुसार जी0एस0टी0 लागू होंगे वह क्रेता द्वारा वहन किये जायेगे।
9. उच्चतम बोली के प्रस्ताव का निर्धारण मौखिक बोली के आधार पर की जायेगी।
10. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोली लगाने वाले क्रेता के अतिरिक्त अन्य की धरोहर राशि 07 दिन के बाद वापस कर दी जायेगी।